

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 678/2026

Smt. Narbda Devi W/o Johrilal Mahajan

----Appellant

Versus

Shyonarain S/o Kishanlal Mahajan

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Shriram Yadav, Adv.

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

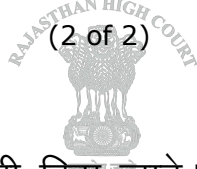
05/05/2026

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि पक्षकारान का विद्वान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के समक्ष राजीनामा तस्दीक हो गया था, लेकिन राजीनामे के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में डिक्री पारित नहीं की गई है, वरन् राजीनामे की पालना में आदेश होने से वाद को खारिज कर दिया गया। पक्षकारान में हुआ राजीनामे पर न्यायालय द्वारा डिक्री पारित नहीं किए जाने का क्या प्रभाव होगा या राजीनामे के आधार पर पक्षकारान द्वारा कार्यवाही किए जाने का क्या प्रभाव होगा, यह विचारणीय बिन्दु है।

इस स्थिति में समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र 2096/26 अन्तर्गत धारा 151 आदेश 41 नियम 5 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थीगण की तामील तक विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या-1, अलवर (राज.) दीवानी वाद संख्या-19/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2026 की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

प्रत्यर्थीगण के बाद तामील उपस्थित आने पर स्थगन पर नए सिरे से दोनों पक्षों को सुनकर स्थगन आदेश पारित किया जाएगा।

तदनुरूप प्रार्थना पत्र संख्या 2096/26 स्वीकार किया जाता है।



[CFA-678/2026]

प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए जावे।
प्रकरण दो सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

Nikita/82